



सयमेव PM/VI/2012-13/OG-GO/

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

दिनांक / Date :

To

The Director of Treasuries and Accounts
4th floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
Hyderabad

Sir,

Sub:- Forwarding of Orders relating DR 7% from 01.07.2012 to Uttarpradesh Pensioners.

Ref:- 1. Circular No Pen(Misc)/DR/1494 LID32992,33420,33431
dated 11.12.2012 of the AG(A&E) II UP Allahabad.
2. Govt. of UP OM No Sa-3-1563/X-2012-301/2000TC dt 6.11.2012.

I am herewith enclosing a Special Seal Authority issued by the Accountant General (A&E) II, Uttarpradesh, Allahabad in the reference cited. The same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

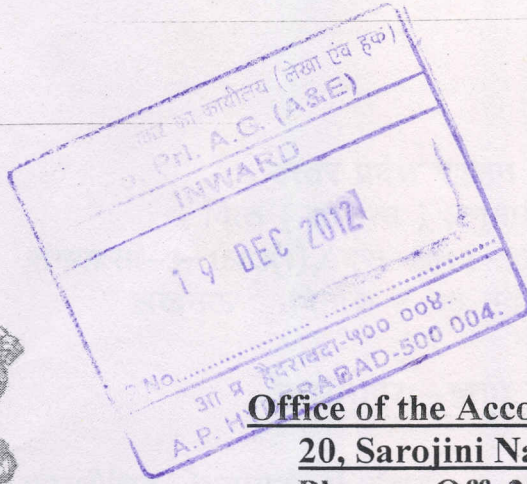
Sr Accounts Officer

Copy To
Joint Director,
M J Road, Jambagh
Pension Payment Office,
Nampally,
Hyderabad

for information and necessary action.

Sr Accounts Officer

4052
4/1/12



By Speed Post

Office of the Accountant General (A&E)-II, UP
20, Sarojini Naidu Marg, Allahabad 211001
Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402

Under Special Seal

Circular No:- Pension (Misc)/Dearness Relief/

1494

Dated: 11 /12/2012

LID-32992, 33420, 33431

243503
21/12/12

To

Accountant General (A&E),

Andhra Pradesh

.....Sarifabad.....

.....Hyderabad 500004

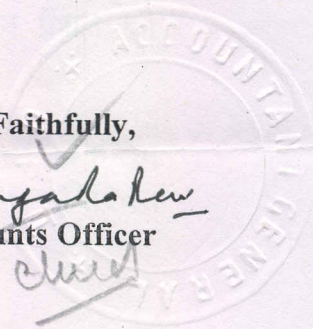
Subject:- Grant of DR to State govt. pensioners/family pensioners-Revised rate.w.e.f. 01/07/2012.

I am forwarding herewith copies of office memo. No. Sa-3-1563/X-2012-301//2000 T.C. dt. 06/11/2012 and Sa-3-1563(1)/10-2012-301/2000 T.C. dt. 06/11/2012 on the subject cited above for necessary action please.

Encl:- As stated above

Yours Faithfully,

Sr. Accounts Officer



उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या:सा-3-1563(1)/दस-2012-301/2000 टी0सी0
लखनऊ : दिनांक : 06 नवम्बर, 2012

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :- अपुनरीक्षित वेतनमानों में पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा अनन्तिम पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों को दिनांक 01-07-2012 से महँगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-जी0आई0-04/दस-2012-301/2000 टी0सी0, दिनांक 20 जुलाई, 2012 द्वारा जिन पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन की धनराशि पुनरीक्षित नहीं हुई है या संबंधित कार्मिक ने पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारित नहीं कराया है और तदनुसार उन्हें अपुनरीक्षित वेतन के आधार पर पेंशन स्वीकृत हुई है, को पेंशन पर महँगाई राहत दिनांक 01-01-2012 से 139 प्रतिशत की दर से स्वीकृत की गयी थी, के क्रम में उक्त श्रेणी के पेंशनर / पारिवारिक पेंशनरों को महँगाई राहत दिनांक 01-07-2012 से 151 प्रतिशत की दर से अनुमन्य होगी।

2- यह भी स्पष्ट किए जाने की अपेक्षा की गयी है कि ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों, जिन्हें अपुनरीक्षित अनन्तिम पेंशन मिल रही है, को उपरोक्तानुसार उल्लिखित दरों पर महँगाई राहत अनुमन्य होगी।

3- क्योंकि अनन्तिम पेंशन एवं उस पर महँगाई राहत का भुगतान अधिष्ठान बिलों पर आहरित करके किया जाता है, इसलिए यह प्रशासकीय विभागों का दायित्व होगा कि वे उपरोक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अनन्तिम पेंशन की धनराशि पर महँगाई राहत की गणना करके भुगतान करें।

4- अतः उपरोक्त श्रेणी के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों तथा अनन्तिम पेंशन प्राप्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तदनुसार महँगाई राहत का भुगतान सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(अजय अग्रवाल)
सचिव, वित्त।

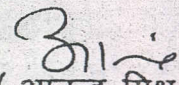
ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनका भविष्य निधि खाता न खुला हो, उनको देय अवशेष नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दिया जायेगा, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दी जायेगी।

8- नयी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते के ऐरियर की राशि के दस प्रतिशत के बराबर राशि कर्मचारियों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जायेगी तथा राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा समतुल्य अंशदान टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जायेगा। ऐरियर की शेष 90 प्रतिशत राशि संबंधित कर्मचारियों को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी।

9- मंहगाई भत्ते की सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमा की जाने वाली अवशेष धनराशि से संबंधित बिल/शेड्यूल/चालान पर शासनादेश सख्या-सा-4-12/दस-97-500 (1)/97, दिनांक 7-10-1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिए।

10- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर दिनांक 01 जुलाई, 2012 से शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा 06 माह के अन्दर सेवा निवृत्त होने वाले हों, उनको देय मंहगाई भत्ते के बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय,


(आनन्द मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या-वै0आ0-1-1105(1)/दस-2012, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 एवं 2 तथा (आडिट)-1 एवं 2 उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (4) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) कमरा नं0-261, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
- (5) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, लखनऊ।
- (6) प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (7) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- (8) रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिशनर, कानपुर।
- (9) अपर निदेशक, कोषागार शिविर कार्यालय, नवीन कोषागार भवन (प्रथम

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या-सा-3-1563/दस-2012-301/2000टी0सी0
लखनऊ : दिनांक : 06 नवम्बर, 2012

कार्यालय - ज्ञाप

विषय: राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक
पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की
स्वीकृति।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश
हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के
कार्यालय - ज्ञाप संख्या-सा-3- 03जी0आई0
/दस-2012-301/2000 टी0सी0 , दिनांक
20 जुलाई, 2012 जिसके द्वारा महंगाई राहत
दिनांक 01 जनवरी, 2012 से 65 प्रतिशत
स्वीकृत की गयी थी, के कम में राज्यपाल
महोदय द्वारा, औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
में इस बीच हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त
संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 20 जुलाई,
2012 में उल्लिखित दरों का संशोधन करते हुए
दिनांक 01 जुलाई, 2012 से महंगाई राहत की
07 प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की
सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- पेंशनरों को अनुमन्य महंगाई राहत में
दिनांक - 01 जुलाई, 2012 से 07 प्रतिशत की
उपर्युक्त बढ़ोतरी के फलस्वरूप पेंशन पर
अनुमन्य महंगाई राहत की दर 65 प्रतिशत से
बढ़कर 72 प्रतिशत हो जायेगी।

3- महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो
एक रुपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे
नजरअंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे
अथवा आधे से अधिक को पूर्ण रुपये के रूप में
लिया जायेगा।

4- यह आदेश उच्च न्यायालय के
न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक
उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे।
उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से
आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।
अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों /
पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में आदेश पृष्ठांकन
संख्या -सा-3-जी0 आई0-13 / दस-
2012-301/ 2000, दिनांक 12 अक्टूबर,
2012 द्वारा जारी किए जा चुके हैं।

Government of Uttar Pradesh
Finance (General) Section-3
No-Sa-3-1563 /X-2012-301/2000 T.C.
Dated : Lucknow: 06 November, 2012

Office - Memorandum

Subject : Grant of dearness relief to State
Government's civil / family pensioners.

The undersigned is directed to refer to
the office memorandum No. Sa-3-G.I.-
03/X-2012-301/2000 T.C. dated July 20,
2012 on the above mentioned subject,
sanctioning additional instalment of
dearness relief with effect from January
01, 2012 and to say that the Governor is
pleased to further enhance by 07 percent,
with effect from July 01, 2012, the rate of
dearness relief admissible to all civil /
family pensioners of this Government to
compensate them for the rise, in the
meanwhile, in the average consumer price
index.

2- As a consequence of the above-
mentioned 07 percent rise, the dearness
relief payable on the pension will rise from
existing 65 percent to 72 percent with
effect from July 01, 2012.

3- In the calculation of dearness relief,
fraction of a rupee less than its half shall
be ignored while half or more shall be
counted as one rupee.

4- These orders will not be applicable to
the Judges of High Court, employees of
local bodies and public undertakings /
corporations etc. in respect of
whom separate orders will be issued by
respective departments. Orders in
respect of All India Service pensioners/
family pensioners have been issued vide
endorsement number G-3-G.I.-13/X-2012-
301/2000, dated October 12, 2012.

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या-सा-3-1563/दस-2012-301/2000टी0सी0
लखनऊ : दिनांक : 06 नवम्बर, 2012

कार्यालय - झाप

विषय: राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक
पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की
स्वीकृति।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश
हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के
कार्यालय - झाप संख्या-सा-3- 03जी0आई0
/दस-2012-301/2000 टी0सी0 , दिनांक
20 जुलाई, 2012 जिसके द्वारा महंगाई राहत
दिनांक 01 जनवरी, 2012 से 65 प्रतिशत
स्वीकृत की गयी थी, के कम में राज्यपाल
महोदय द्वारा, औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
में इस बीच हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त
संदर्भित कार्यालय-झाप दिनांक 20 जुलाई,
2012 में उल्लिखित दरों का संशोधन करते हुए
दिनांक 01 जुलाई, 2012 से महंगाई राहत की
07 प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की
सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- पेंशनरों को अनुमन्य महंगाई राहत में
दिनांक - 01 जुलाई, 2012 से 07 प्रतिशत की
उपर्युक्त बढ़ोतरी के फलस्वरूप पेंशन पर
अनुमन्य महंगाई राहत की दर 65 प्रतिशत से
बढ़कर 72 प्रतिशत हो जायेगी।

3- महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो
एक रुपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे
नजरअंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे
अथवा आधे से अधिक को पूर्ण रुपये के रूप में
लिया जायेगा।

4- यह आदेश उच्च न्यायालय के
न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक
उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे।
उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से
आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।
अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों /
पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में आदेश पृष्ठांकन
संख्या -सा-3-जी0 आई0-13 / दस-
2012-301/ 2000, दिनांक 12 अक्टूबर,
2012 द्वारा जारी किए जा चुके हैं।

Government of Uttar Pradesh
Finance (General) Section-3
No-Sa-3-1563 /X-2012-301/2000 T.C.
Dated : Lucknow: 06 November , 2012

Office - Memorandum

Subject : Grant of dearness relief to State
Government's civil / family pensioners.

The undersigned is directed to refer to
the office memorandum No. Sa-3-G.I.-
03/X-2012-301/2000 T.C. dated July 20,
2012 on the above mentioned subject,
sanctioning additional instalment of
dearness relief with effect from January
01, 2012 and to say that the Governor is
pleased to further enhance by 07 percent,
with effect from July 01, 2012, the rate of
dearness relief admissible to all civil /
family pensioners of this Government to
compensate them for the rise, in the
meanwhile, in the average consumer price
index.

2- As a consequence of the above-
mentioned 07 percent rise, the dearness
relief payable on the pension will rise from
existing 65 percent to 72 percent with
effect from July 01, 2012.

3- In the calculation of dearness relief,
fraction of a rupee less than its half shall
be ignored while half or more shall be
counted as one rupee.

4- These orders will not be applicable to
the Judges of High Court, employees of
local bodies and public undertakings /
corporations etc. in respect of
whom separate orders will be issued by
respective departments. Orders in
respect of All India Service pensioners/
family pensioners have been issued vide
endorsement number G-3-G.I.-13/X-2012-
301/2000, dated October 12, 2012.